



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17993

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 45037 वर्ष 2025

कफील आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद जाकिर

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (G.A.)

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची का पुनरीक्षण किया गया है। आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद जाकिर, राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी सुश्री इफरा इस्लाम को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
3. आवेदक ने वाद अपराध संख्या 936 वर्ष 2024, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। तथ्य के पाँच साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण किया जा चुका है और उन्होंने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। पीडब्ल्यू-6 एक औपचारिक साक्षी है। वर्तमान वाद में आवेदक के दोषसिद्ध होने की कोई संभावना नहीं है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 22.10.2024 से कारागार में निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया, किन्तु आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खण्डन नहीं कर सकीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत हेतु प्रथमदृष्टया मामला स्थापित कर दिया है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र अनुमन्य किया जाता है।

8. आवेदक कफील, जो उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। साथ ही, रिहाई आदेश निर्गत करने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन कर लिया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा तथा उन्हें भयभीत या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

(iii) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 27 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।